समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

अधिहरण अपील संख्या–08 / 2016–17

गुड्डु सिंह उर्फ सुनील सिंह

–बनाम्–

झारखण्ड राज्य सरकार

–::आदेश::–

09.04.2018

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख एवं उसमें संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो द्वारा राज्यसात वाद संख्या 30 / 2014 राज्य (वन क्षेत्र पदाधिकारी, चास) –बनाम– गुड्डु सिंह उर्फ सुनील सिंह में दिनांक–18.04.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया गया है।

उक्त के क्रम में अपीलकर्ता एवं राज्य सरकार की ओर से विज्ञ अपर लोक अभियोजक, बोकारो को सुना गया।

निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से प्रतीत होता है कि दिनांक 19.10.2014 को गुप्त सूचना के आधार पर सहायक वन संरक्षक, बोकारो के नेतृत्व में विशेष गश्ती के क्रम में देखा गया कि मौजा चास थाना सं0 30 के प्लॉट सं0–7562 जो अधिसूचित एवं सीमांकित सुरक्षित वनभूमि के अन्दर अतिक्रमण के उद्देश्य से सीमेंट एवं कंक्रीट गिराकर सुगम रोड बनाने का कार्य किया जा रहा था। जिसके क्रम में दो व्यक्तियों को पकड़ा गया। जिनसे पुछताछ करने पर बताया गया कि ट्रैक्टर मालिक गुड्डु सिंह उर्फ सुनील सिंह के कहने पर यह सीमेंट एवं कंक्रीट गिराया जा रहा था। तत्पश्चात वन पदाधिकारी एवं वन कर्मियों द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 (बिहार संशोधन, 1989) की धारा–52 के अन्तर्गत सीमेंट एवं कंक्रीट से लदा आईटम के साथ बिना पंजीयन संख्या का ट्रैक्टर एवं ट्रॉली को जप्ती सूची बनाकर जब्त किया गया। भारतीय वन अधिनियम, 1927 (बिहार संशोधन, 1989) की धारा–33 के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए जब्ती सूची में दर्ज अभियुक्तों को सुरक्षित वन में अवैध रूप से अतिक्रमण करने के जुर्म में भारतीय वन अधिनियम, 1927 (बिहार संशोधन, 1989) की धारा–64 के प्रावधानों के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया तथा इसी क्रम में प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमंडल पदाधिकारी, बोकारो द्वारा राज्यसात की कार्रवाई कर उक्त ट्रैक्टर जिसका इंजन पंजीयन सं0–T-7701001010 एवं उसके ट्रॉली पर लदे सीमेंट एवं कंक्रीट आईटम को राज्यसात किया गया है।

अपीलकर्ता द्वारा दलील दिया गया कि सीमेंट एवं कंक्रीट से लदा आईटम सचिव, नव चेतन गृह निर्माण समिति के कहने पर गिराया गया था। इसमें उनका कोई दोष नहीं है और न ही उनका सुरक्षित वन भूमि से कोई लेना देना है।

अपीलकर्त्ता द्वारा यह भी कहा गया कि जप्त वाहन व्यवसायिक है और यह एक मात्र उनके आय का स्त्रोत है। अतः उन्होंने जप्त वाहन को मुक्त करने का अनुरोध किया है।

राज्य सरकार की ओर से विज्ञ अपर लोक अभियोजक, बोकारो द्वारा अपना पक्ष रखते हुए कहा गया कि घटना स्थल, जहॉ से वाहन जब्त किया गया है, वह वन भूमि है और वन भूमि का अतिक्रमण करना गैरकानूनी है। अपीलकर्त्ता द्वारा अधिसूचित एवं सीमांकित सुरक्षित वनभूमि के अतिक्रमण के गंभीर अपराध में सहयोग किया गया है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 (बिहार संशोधन, 1989) की धारा–52(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत की गई कार्रवाई राही है।

दोनों पक्षों की दलील, अभिलेख में संधारित कागजातों एवं जप्त वाहन के संदर्भ में जिला परिवहन पदाधिकारी, बोकारो द्वारा उपलब्ध कराए गए जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि अपीलकर्त्ता द्वारा जिस वाहन को मुक्त करने का अनुरोध किया गया है तथा उसके supprot में जो दस्तावेज निम्न न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है वह पूर्णतः भिन्न है। अर्थात प्रश्नगत वाहन के मालिक अपीलकर्त्ता गुड्डु सिंह उर्फ सुनील सिंह नहीं है। अतः अपीलकर्त्ता द्वारा किए गए अपील का कोई आधार नहीं है। इसके अतिरिक्त अपीलकर्त्ता के द्वारा कार्य स्थल के संबंध में सम्पूर्ण रुप से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए थी जो उनके द्वारा नहीं किया गया। यह उनके गलत मंशा को दर्शाता है।

उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो द्वारा अधिहरण वाद संख्या–30/2014 राज्य (वन क्षेत्र पदाधिकारी, चास)–बनाम–गुड्डु सिंह उर्फ सुनील सिंह में दिनांक–18.04.2016 को पारित आदेश पर हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है एवं वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

09.04.18

समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी।
बोकारो।

समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी,
बोकारो।

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2025.01.23 12:28:23 +05:30
Location: 192.168.91.234